राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा), शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक एफ 5(14)ग्रावि/नरेगा/विविध/10–11 जयपुर, दिनांक: 04 MAR 2014

बैठक कार्यवाही विवरण

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त अन्य लाईन विभागों की भागीदारी सुनिश्चित करने एव अन्य योजनाओं के कन्वर्जेन्स/डवटेल के द्वारा अधिक कार्य कराए जाने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक दिनांक 06.02.2014 को दोपहर 12:30 बजे कमेटी रूम प्रथम में आयोजित की गई। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–'अ' पर संलग्न है।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने अवगत कराया कि लाइन विभागों से मनरेगा योजना में कार्यों में भागीदारी बढ़ाना, अन्य लाईन विभाग की योजनाओं के साथ डॅवटेल/कन्वर्जेन्स करना एवं विभागीय कार्यों में तकनीकी सलाह व सहयोग देना, तीन मुख्य एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा की गई। इस सम्बन्ध में एक प्रस्तुतीकरण परियोजना निदेशक, ईजीएस द्वारा किया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान मुख्य सचिव द्वारा लाइन विभागो के अधिकारियों को मनरेगा योजना में विभाग की कम भागीदारी के कारणों, वर्तमान में कराये जा रहे कार्यों की जानकारी तथा योजना के क्रियान्वयन में महसूस की जा रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में जानकारी देने बाबत निर्देशित करने पर विभागवार अवगत कराई गई प्रगति एवं मुख्य समस्याऐं निम्न प्रकार है :–

1. **सार्वजनिक निर्माण विभाग–**

- विभाग के प्रमुख शासन सचिव द्वारा अवगत कराया कि विभाग द्वारा वर्तमान में सड़कों पर पौधारोपण का कार्य, बर्म्स रिपेयर एवं ग्रेवल सड़कों का कार्य किया जा रहा है। विभाग द्वारा सड़कों के दोनों तरफ पौधारोपण के लिए प्रथम चरण में उदयपुर जिले की सड़कों का चयन किया गया है तथा जिले के वन अधिकारियों से पौधारोपण के लिए सम्पर्क करने पर उन्होंने अवगत कराया कि पौधारोपण का कार्य वर्षा ऋतु में माह जुलाई व अगस्त, 2014 में किया जाना है, उस वक्त संबंधित पंचायत समिति द्वारा नरेगा श्रमिक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, जिससे कार्य अधूरा ही रह जाता है।
- वन विभाग द्वारा पौधारोपण के लिए सामग्री मद का तकमीना वन विभाग की बीएसआर से बनाया गया है। इस पर निर्णय लिया जाना वांछनीय है कि तकमीना विभागीय बीएसआर पर बनाया जाना है या ग्रामीण विकास विभाग की बीएसआर पर।
- विभाग द्वारा विद्यमान डामर सड़कों की पटरियों की मरम्मत का कार्य पूर्ववर्ती वर्षों में बहुतायत से कराया गया था, परन्तु आयुक्त नरेगा के पत्र द्वारा उक्त कार्य पर रोक लगा दी गई। अतः तभी से इस प्रकार के कार्य बन्द हैं।

- योजनान्तर्गत श्रम सामग्री का अनुपात जिला स्तर पर संधारित किया जाता था, परन्तु अब उक्त अनुपात ब्लॉक स्तर पर संधारित किया जाना है, अतः पूर्व में कराये जा रहे आरयूबी के कार्य वर्तमान में सम्पादित किया जाना सम्भव नहीं है।

2. **जल संसाधन विभाग–**

- विभाग के शासन सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा नहरों की लाइनिंग व डिसिल्टिंग का कार्य बहुतायत से कराया जाता है, परन्तु विभिन्न जिलों में विभाग के ऐसे 8000 कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति अभी तक लम्बित है।
- विभागीय प्रक्रिया अनुरूप पारदर्शी तरीके से निविदा आमंत्रण में कार्यों की दरें बीएसआर से 10 प्रतिशत या इससे अधिक आने की स्थिति में जिला कलेक्टर द्वारा कार्यों की स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के कारण से इतने कार्यों की स्वीकृति अभी तक लम्बित है। अतः विभागीय स्तर पर इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दिये जाने की आवश्यकता है।
- सिंचाई विभाग से पंचायती राज विभाग को स्थानान्तरित 300 हैक्टेयर तक के कैचमेंट एरिया से छोटे 3000 तालाबों की डिसिल्टिंग का कार्य मनरेगा योजना के तहत कराया जा सकता है।

3. **कृषि विभाग–**

- विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि विभागीय स्तर पर वैयक्तिक लाभार्थी कार्यों के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य कराये जाने का विकल्प नहीं है।
- वैयक्तिक लाभार्थी कार्यों में लाभार्थी के चयन में मनरेगा एवं कृषि विभाग दोनों के मापदण्ड अलग–अलग है। मनरेगा योजना में केवल एससी, एसटी, बीपीएल केटेगरी के लाभार्थियों को ही शामिल किया गया है, तथा इन सभी लाभार्थियों के कार्य पूर्ण होने पर ही लघु एवं सीमान्त कृषकों के खेतों पर कार्य करवाये जा सकते है।

4. **वन विभाग–**

- विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा ईको रेस्टोरेशन के तहत वन क्षेत्र की पक्की चार दीवारी के कार्य कराये जा रहे थे, परन्तु अब श्रम सामग्री का अनुपात ब्लॉक स्तर पर संधारित किया जाना है, अतः उक्त कार्य मनरेगा योजना में सम्पादित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।
- विभाग द्वारा वन भूमि पर भू–संरक्षण के कार्य यथा चैक डैम निर्माण, एनीकट निर्माण, फार्म पोण्ड निर्माण आदि पर मा. राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है। अतः अब इस तरह के कार्य भी विभाग द्वारा नहीं कराये जा रहे है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया जाना है।

5. **महिला एवं बाल विकास विभाग–**

- विभाग के प्रमुख शासन सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए राशि रूपये 4.50 लाख प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र नियत की गई है, जबकि कई जिलों में आंगनबाड़ी केन्द्रों के लागत तकमीने राशि रूपये 5.50–6.00 लाख तक के है। अतः बढ़ी हुई राशि को कैसे समायोजित किया जायेगा?
- 1050 आंगनबाड़ी केन्द्रों का कार्य पंचायती राज विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है। चूंकि उक्त कार्य पक्के निर्माण कार्य की कैटेगरी में आते है एवं नरेगा की नई गाइड लाइन के अनुसार श्रम एवं सामग्री का अनुपात ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित किया जाना है, अतः उक्त कार्य मनरेगा योजना में सम्पादित किये जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना होगा।

अति. मुख्य सचिव, इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा अवगत कराया गया कि :–

1. लाइन विभागों को श्रमिकों की उपलब्धता निरन्तर उपलब्ध नहीं हो पाती है, जबकि उनके कार्य एक निश्चित समय में पूर्ण कराये जाने होते हैं। इस कारण श्रमिकों के अभाव में वो अपूर्ण रह जाते हैं, तथा उनकी लागत भी बढ़ जाती है। राजस्थान में अपूर्ण कार्यों की संख्या काफी अधिक है। अतः जिला स्तर पर समुचित निर्देश दिये जाने की आवश्यकता है कि लाईन विभागों के द्वारा मनरेगा योजना के तहत डॅवटेल/कन्वर्जेन्स कर कराये जाने वाले कार्यों पर प्राथमिकता से श्रमिक उपलब्ध कराये जाये।
2. पश्चिमी राजस्थान में सड़कों पर बालू रेत के टीबों के आने पर उन पर से मिट्टी हटाने के कार्यों में कई जगहों पर अनियमितता पाये जाने के फलस्वरूप उन कार्यों पर रोक लगा दी गई थी। मनरेगा योजना में आपदा तैयारी में सुधार करना या सड़कों का जीर्णोद्धार या अन्य आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण संकर्म भी है, का जीर्णोद्धार जलमग्न क्षेत्रों में अपवहन (Drainage) उपलब्ध कराने, बाढ़ जलमार्गों की मरम्मत करने, चॉयर जीर्णोद्धार तथा अधिनियम के अधीन सृजित लोक आस्तियों का रखरखाव कार्य अनुमत होने से कराये जा सकते हैं।
3. पूर्व में श्रम एवं सामग्री अनुपात जिला स्तर पर संधारित किया जाना था। अतः लाइन विभागों के कार्य सामग्री मद अधिक होने पर भी स्वीकृत किये जाते थे, परन्तु अब यह अनुपात ब्लॉक स्तर पर संधारित किये जाने पर इन कार्यों में काफी कमी आई है। अतः मनरेगा के कार्यों का भारत सरकार द्वारा अनुमत 9 योजनाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमत अन्य 9 योजनाओं के साथ कन्वर्जेन्स कर 40 प्रतिशत से अधिक सामग्री की लागत के भी कार्य लाईन विभागों के द्वारा कराये जा सकते हैं।

विस्तृत विचार–विमर्श के पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये :–

1 महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्थाई परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु अन्य विभागों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। अतः सभी लाईन विभागों के अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, अपने विभागों के विभागाध्यक्षों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को 15 प्रतिशत लागत के कार्य मनरेगा योजना में कराये जाने बाबत निर्देशित करेंगे। यदि पर्याप्त

संख्या में लाईन विभागों के कार्य जिलों की वार्षिक कार्य योजना, 2014–15 में सम्मिलित नहीं किये जा सकें हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार उनको जिले की पूरक वार्षिक कार्य योजना में जुड़वाया जावे।

2 प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के स्तर से सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया जावे कि लाईन विभागों के द्वारा मनरेगा योजना के तहत डॅवटेल/कन्वर्जेन्स कर कराये जाने वाले कार्यों पर प्राथमिकता से अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराये जाये। अकुशल श्रमिकों की उपलब्धता कम होने पर सर्व प्रथम लाईन विभागों को उनकी मांग के अनुसार अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराये जायेंगे। उसके पश्चात् यदि अकुशल श्रमिक उपलब्धता रहती हो तो पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों हेतु उपलब्ध कराये जावे।

3 लाईन विभागों द्वारा ऐसे कार्यों का भी चयन किया जायेगा जिनमें सामग्री मद की राशि 40 प्रतिशत से अधिक है। 40 प्रतिशत से अधिक की सामग्री राशि को अन्य योजनाओं पर प्रभारित किया जावें।

4 पशुपालन विभाग द्वारा हाल ही में मनरेगा योजनान्तर्गत अनुमत कम लागत एवं कम अवधि के व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों यथा कुक्कुट आश्रय, बकरी आश्रय, शुकर आश्रय, चारा द्रोणिका जैसे पशुधन के संवर्धन के लिए अवसंरचना के कार्यों का चयन कर अधिकाधिक संख्या में सम्पादित कराये जायें।

5 सार्वजनिक निर्माण विभाग/वन विभाग द्वारा विद्यमान सड़कों के किनारे पौधारोपण का कार्य, आपदा तैयारी में सुधार करना या सड़कों का जीर्णोद्धार या अन्य आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण संकर्म भी है, का जीर्णोद्धार, जलमग्न क्षेत्रों में अपवहन (Drainage) उपलब्ध कराने, बाढ़ जलमार्गों को गहरा करने एवं उनकी मरम्मत करने, चॉयर जीर्णोद्धार, अधिनियम के अधीन सृजित लोक आस्तियों का रखरखाव कार्य एवं असम्बद्ध ग्रामों को और विद्यमान पक्का सड़क नेटवर्क के लिए अभिज्ञात ग्रामीण उत्पादन केन्द्रों को जोड़ने के लिए सभी मौसमों में ग्रामीण सड़क संयोजकता उपलब्ध कराने का कार्य, ग्राम में पक्की आन्तरिक सड़के या गलियां जिनके अन्तर्गत पार्श्विक नालियां और पुलिया भी है, का निर्माण कार्य कराया जावे।

6 कृषि विभाग द्वारा व्यक्तिगत लाभार्थी के सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने एवं आजीविका उपार्जन सम्बन्धी कार्य यथा डिग्गी, फार्म पोण्ड निर्माण, बागवानी उद्यान, पौधारोपण एवं कृषि वानिकी आदि प्राथमिकता के आधार पर लिए जावें।

7 महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण किया जावे तथा उनका नियमानुसार मनरेगा योजना के साथ डॅवटेल/कन्वर्जेन्स कर कार्य कराया जावे। सामग्री मद में 40 प्रतिशत से अधिक राशि एवं लागत वृद्धि की वजह से बढ़ी हुई राशि विभागीय योजना आईसीडीएस के मद में भारित की जावे।

8 लाईन विभाग के जिन कार्यों में श्रम सामग्री अनुपात 60:40 का संधारण सम्भव नहीं हो उन कार्यों पर 40 प्रतिशत से अधिक सामग्री मद की राशि राज्य सरकार द्वारा परिसम्पत्ति

निर्माण निधि में उपलब्ध प्रावधित राशि में से उपलब्ध कराने की राज्य स्तर पर कार्यवाही की जावे।

9 महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले सभी कार्यों के तकमीना ग्रामीण विकास विभाग की बीएसआर के आधार पर ही बनाये जायेंगे।

10 लाईन विभागों द्वारा पारदर्शी तरीके से निविदा आमंत्रण उपरान्त दरों की स्वीकृति विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किए जाने पर तद्नुसार उसकी वित्तीय स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा जारी की जायेगी।

11 महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ कन्वर्जेन्स/डवटेल के सम्बन्ध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सुस्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे।

महात्मा गांधी नरेगा योजना का अन्य योजनाओं से कन्वर्जेन्स/डवटेल को अधिक उपयोगी बताते हुए सधन्यवाद बैठक सम्पन्न हुई।

भवदीय

(कन्हैयालाल)
परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
2 निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, इन्फ्रास्ट्रक्चर।
3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, पशुधन, मत्स्य विभाग।
4 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग।
5 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
6 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
7 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
8 निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान स्टेट वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन।
9 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
10 निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग।
11 निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
12 अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस।
13 वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
14 अधीक्षण अभियन्ता, पंचायती राज विभाग।
15 रक्षित पत्रावली

परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस

परिशिष्ट–'अ'

बैठक दिनांक 06.02.2014 में उपस्थित अधिकारियों का विवरण :–

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री सी.एस. राजन	अतिरिक्त मुख्य सचिव, इन्फ्रास्ट्रेक्चर
2.	श्री अशोक सम्पत्तराम	अति. मुख्य सचिव, कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी विकास (उद्यानिकी विभाग का अति. चार्ज)
3.	श्री ओ.पी. मीणा	अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं वन
4.	श्री विपिन चंद शर्मा	प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग
5.	श्रीमत् पाण्डे	प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
6.	डॉ. ललित मेहरा	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान स्टेट वेयर हाऊस कॉर्पोरेशन
7.	श्री जे. सी. मोहन्ति	प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग
8.	श्री अजिताभ शर्मा	शासन सचिव, जल संसाधन विभाग
9.	श्री खजान सिंह	परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस
10.	श्री मातादीन मीणा	अति. आयुक्त (प्रथम), ईजीएस
11.	श्री देवराज	वित्तीय सलाहकार, ईजीएस
12.	श्री के.के. शर्मा	अधीक्षण अभियंता, पंचायती राज विभाग
13.	श्री एन.के. जोशी	अधिशाषी अभियंता, ईजीएस
14.	श्री राकेश सोनी	अधिशाषी अभियंता, (एसएस) सार्वजनिक निर्माण विभाग
15.	श्री सोमेश्वर देवड़ा	सहायक निदेशक, मॉनीटरिंग, आईसीडीएस, महिला एवं बाल विकास विभाग